कार्यालयः जिला कलेक्टर, लखनऊ।

पत्रांक 1905/अ0जि0अ0(भू0अ0) अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0स0परि0 दिनांक 11/09/ 2019

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर (ए0टी0एस0) लखनऊ के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम अनौरा, बेहटवा की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व "भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" एवं "भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016" के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना एस0आर0 एशिया गाजियाबाद द्वारा तैयार की गई है ।

2. भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 5 तथा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर निम्नवत् अधिकारी द्वारा निम्नांकित दिये गये स्थान, दिनांक व समय के अनुसार लोक सुनवाई की जानी है:-

कमांक	लोक सुनवाई हेतु नामित अधिकारी	ग्राम का नाम	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
1	उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर,	अनौरा, बेहटवा	कमांडो ट्रेनिंग सेन्टर(ए.टी.एस), ग्राम-अनौरा रेलवे रोड के समीप, अमौसी, लखनऊ।	25.09.2019	पूर्वान्ह 11:00 बजे

उपरोक्तानुसार अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का अवलोकन कर लें और यदि उक्त सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर उन्हे कोई आपत्ति/सुझाव है तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव उपरोक्तानुसार नियत दिनांक/समय व स्थान पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

(कौशलराज शर्मा)
जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता(ए.टी.एस), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, एस0आर0 एशिया, कारपोरेट, ऑफिस, 4 एफ-सी.एस.-258, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि सामाजिक समाघात निर्धारण व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार करने वाली टीम को निर्देशित करें कि उपरोक्तानुसार लोक सुनवाई में भाग लेकर प्राप्त आपत्तियो/सुझावो के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

3. उपजिलाधिकारी /तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि लोक सुनवाई हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराने यथा लोक सुनवाई की सूचना तहसील/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक दृष्टव्य स्थान पर चस्पा कराने आदि के साथ-साथ आवश्यक सुनवाई करने का कष्ट करे।

जिलाधिकारी,
लखनऊ